न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी श्री श्योराम (आरएएस)
प्रकरण संख्या 32/2024(सी सी एम एस 2024/53)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1 ज्ञान देवी पत्नी राजकुमार जाति अरोड़ा निवासी चक 6 सी मघूर तहसील श्रीकरणपुर।		1. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू 06.03.2024

उपस्थित 1 श्री सुधीर कुमार शर्मा अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91 आरटीए

निर्णय दिनांक 30.10.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 10 एस, पटवार हल्का मघूर, भू.अ.नि.क्षेत्र मघूर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 65/26 के मुरब्बा नम्बर 89, 90, 103/31, 103/33, 103/34, 103/36 की कुल 6.134 हैक्टेयर भूमि में से वादी के पुत्र अशोक कुमार के नाम 0.383 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादिया के पुत्र अशोक कुमार की मृत्यु दिनांक 14.07.2023 को हो चुकी है। वादिया मृतक अशोक कुमार की माता है व मृतक अशोक कुमार की प्रथम श्रेणी की एकमात्र वारिस है। वादिया ने अशोक कुमार की मृत्यु के पश्चात ग्राम पंचायत सरपंच व प्रतिवादी को मृतक अशोक कुमार की उक्त कृषि भूमि को वादिया के नाम दर्ज करने बाबत कहा, तो उन्होंने मृतक अशोक कुमार की कृषि भूमि को वादिया के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने से इन्कार कर दिया और कहा कि पहले मृतक अशोक कुमार का वारिस प्रमाण पत्र लेकर आओ, तभी उक्त भूमि आपके नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की जावेगी। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 10 एस, पटवार हल्का मघूर, भू.अ.नि.क्षेत्र मघूर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 65/26 के मुरब्बा नम्बर 89, 90, 103/31, 103/33, 103/34, 103/36 की कुल 6.134 हैक्टेयर भूमि में से वादी के पुत्र अशोक कुमार के नाम दर्ज 0.383 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्रांक 3016 दिनांक 24.09.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 10 एस की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 65/26 में वादिया के पुत्र अशोक कुमार पुत्र राजकुमार जाति अरोड़ा(मृतक) के नाम 0.383 हैक्टेयर भूमि दर्ज है। जिसकी मृत्यु दिनांक 14.07.2023 को हो चुकी है। मृतक के वारिसों की मौका जांच रिपोर्ट तैयार कि मृतक की शादी हुई थी। लेकिन पंचायत स्तर पर तलाक होना बताया गया। मृतक के कोई संतान नहीं थी। वादी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया गया। संशोधित वादपत्र शामिल मिसल किया गया। साक्ष्यवादी में गवाह ज्ञान देवी, बलकरण सिंह, नरेश कुमार उपस्थित आए। शपथपत्र बाबत साक्ष्य पेश किया। शामिल मिसल रहे। साक्ष्यप्रतिवादी बन्द की गई।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादपत्र वादी, शपथ पत्र का अध्ययन किया। अधिवक्तागण की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 10 एस, पटवार हल्का मघूर, भू.अ.नि.क्षेत्र मघूर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 65/26 की

न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 32 / 2024(जी.सी.एम.एस. 2024 / 53)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. ज्ञान देवी पत्नी राजकुमार जाति अरोड़ा निवासी चक 6 वी धनूर तहसील श्रीकरणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू – 06.03.2024

उपस्थितः 1.श्री सुधीर कुमार शर्मा अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91 आरटीए

—निर्णय— दिनांक : 30.10.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 10 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 65/26 के मुरब्बा नम्बर 89, 90, 103/31, 103/33, 103/34, 103/36 की कुल 6.134 हैक्टेयर भूमि में से वादी के पुत्र अशोक कुमार के नाम 0.383 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादिया के पुत्र अशोक कुमार की मृत्यू दिनांक 14.07.2023 को हो चुकी है। वादिया मृतक अशोक कुमार की माता है व मृतक अशोक कुमार की प्रथम श्रेणी की एकमात्र वारिस है। वादिया ने अशोक कुमार की मृत्यू के पश्चात ग्राम पंचायत सरपंच व प्रतिवादी को मृतक अशोक कुमार की उक्त कृषि भूमि को वादिया के नाम दर्ज करने बाबत कहा, तो उन्होंने मृतक अशोक कुमार की कृषि भूमि को वादिया के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने से इन्कार कर दिया और कहा कि पहले मृतक अशोक कुमार का वारिस प्रमाण पत्र लेकर आओ, तभी उक्त भूमि आपके नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की जावेगी। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 10 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 65/26 के मुरब्बा नम्बर 89, 90, 103/31, 103/33, 103/34, 103/36 की कुल 6.134 हैक्टेयर भूमि में से वादी के पुत्र अशोक कुमार के नाम दर्ज 0.383 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादगत भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 3016 दिनांक 24.09.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 10 एस की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 65/26 में वादिया के पुत्र अशोक कुमार पुत्र राजकुमार जाति अरोडा(मृतक) के नाम 0.383 हैक्टेयर भूमि दर्ज है। जिसकी मृत्यू दिनांक 14.07.2023 को हो चुकी है। मृतक के वारिसों की मौका जांच रिपोर्ट तैयार कि मृतक की शादी हुई थी। लेकिन पंचायत स्तर पर तलाक होना बताया गया। मृतक के कोई संतान नहीं थी। वादी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया गया। संशोधित वादपत्र सामिल मिसल किया गया। साक्ष्यवादी में गवाह ज्ञान देवी, बलकरण सिंह, नरेश कुमार उपस्थित आए। शपथपत्र बाबत साक्ष्य पेश किया। सामिल मिसल रहे। साक्ष्यप्रतिवादी बन्द की गई।
3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादपत्र वादी, शपथ पत्र का अध्ययन किया। अधिवक्तागण की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 10 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 65/26 की

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

4. प्रति, मृत्यू प्रमाण पत्र की छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति, जन आधार कार्ड की छायाप्रति, के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 10 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 65/26 के मुरब्बा नम्बर 89, 90, 103/31, 103/33, 103/34, 103/36 की कुल 6.134 हैक्टेयर भूमि में से मृतक अशोक कुमार के नाम दर्ज 0.383 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किए जाने बाबत निवेदन किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 10 एस की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 65/26 में वादिया के पुत्र अशोक कुमार पुत्र राजकुमार जाति अरोडा(मृतक) के नाम 0.383 हैक्टेयर भूमि दर्ज है। जिसकी मृत्यु दिनांक 14.07.2023 को हो चुकी है। मृतक के वारिसों की मौका जांच रिपोर्ट तैयार कि मृतक की शादी हुई थी। लेकिन पंचायत स्तर पर तलाक होना बताया गया। मृतक के कोई संतान नहीं थी। लिहाजा रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार मृतक अशोक कुमार पुत्र राजकुमार के वादिया के अलावा अन्य कोई विधिक वारिस नहीं है। इसलिए उक्त 0.383 हैक्टेयर भूमि वादिया प्राप्त करने की अधिकारी है। अतः वाद पत्र वादी, वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, वादी के शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति सावित होने से स्वीकार किया जाकर वादिया ज्ञान देवी पत्नी राजकुमार को राजस्व ग्राम 10 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्री करणपुर की जमावंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 65/26 के मुरब्बा नम्बर 89, 90, 103/31, 103/33, 103/34, 103/36 की कुल 6.134 हैक्टेयर भूमि में से मृतक अशोक कुमार के नाम दर्ज 0.383 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 30.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

ज्ञान देवी बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88, 91 आर०टी०ए०

मुकदमा नम्बर 32/2024

निर्णय दिनांक :- 30.10.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार शर्मा उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर वादिया ज्ञान देवी पत्नी राजकुमार को राजस्व ग्राम 10 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 65/26 के मुरब्बा नम्बर 89, 90, 103/31, 103/33, 103/34, 103/36 की कुल 6.134 हैक्टेयर भूमि में से मृतक अशोक कुमार के नाम दर्ज 0.383 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 30.10.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

क्रमांकः रीडर/2024/576 दिनांकः 30.10.2024

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर